



Neutral Citation No. - 2026:AHC:17411

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी – 75 वर्ष 2026

भानु प्रताप और 5 अन्ययाचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: ललित कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रतिवादी पक्ष को सूचित करने और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रतिवादी पक्ष आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो आदेश में पुनरीक्षण/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 3, तहसीलदार, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर को निर्देश दिया जाए कि म्यूटेशन केस संख्या 4350/2022 (भून् प्रताप और अन्य बनाम मार्कंडे) कम्प्यूटरीकृत केस संख्या T202216530404350 का उत्तर प्रदेश राजस्व साहेता, 2006 की धारा 34 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय लिया जाए।
4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का निर्णय समयबद्ध अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। नियम 34 का उप-नियम (7) इस प्रकार है:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(7). तहसीलदार विवादित मामलों का निपटारा मामले के पंजीकरण की तारीख से 45 दिनों के भीतर और विवादित मामलों का निपटारा 90 दिनों के भीतर करने का प्रयास करेगा। यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है, तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उपर्युक्त अवधि बीत चुकी है, परन्तु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 3, तहसीलदार, तहसील चुनार, जिला मिर्जापुर को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले का निर्णय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, **2016** के नियम **34** के उप-नियम (7) में निहित प्रावधानों के अनुसार करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेय)

27 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"